न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/4/2016

प्रशांत सिंह पुत्र मेवाराम, जाति बावरिया, निवासी रूंध इकरन आजाद नगर तहसील भरतपुर, जिला भरतपुर।

....अपीलान्ट

बनाम

अनारो पत्नि निनुआ जाति बावरिया, निवासी रूंध इकरन आजाद नगर तहसील भरतपुर, जिला भरतपुर।

.....रेस्पो0

अपील विरूद्व दाखिल खारिज संख्या आदेश दिनांक 27.05.2015 तहसीलदार भरतपुर बाबत् आराजी खसरा न0 568 का 23/55 हिस्सा वाके ग्राम रूध इकरन तहसील भरतपुर।

———

उपस्थित :–
1–श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट।
2–श्री रूपेन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक 25.02.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम) विरुद्ध दाखिल खारिज संख्या आदेश दिनांक 27.05.2015 तहसीलदार भरतपुर इस आशय की प्रस्तुत की है कि वाके ग्राम रूध इकरन तहसील भरतपुर स्थित साविक आराजी खसरा नम्बरान 91/118 रकवा 4 बीघा , 88/105 रकवा 6 बीघा के बन्दोवस्त विभाग ने हाल खसरा नम्बर 568/0.55 है0, 569/1.07 हैक्टर निर्मित किये हैं। उक्त आराजी के अपीलांट के स्वर्गीय बाबा रिछपाल के समय से ही संयुक्त परिवार की आराजी

रही है। जब तक अपीलांट के बाबा जीवित रहे तब तक वे स्वयं उक्त आराजी के कर्ता रहे। उनके मरने के बाद अपीलांट की दादी गणेशी उक्त परिवार की कर्त्ता रहीं। उक्त आराजी का आवंटन कर्त्ता खानदान अपीलांट की दादी गणेशी के हक में राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। राजस्व अभिलेख में पहले अपीलांट की दादी गणेशी के नाम गैर खातेदारी बाद में खातेदार के इन्द्राज राजस्व अभिलेख में किये गये। यह सम्पत्ति संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति है। उक्त नवीन खसरा नम्बरों में से खसरा नम्बर 568/0.55 के 32/55 हिस्से का गणेशी ने सुनीता पुत्री त्रिचपाल के हक में पंजीकृत विक्रय पत्र करा दिया था। इस प्रकार विवादित आराजी खसरा नम्बर 568/0.55 का 23/55 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 569/1.07 सालिम आराजी बची। जिस पर अपीलांट के बाबा रिछपाल की पत्नि गनेशी के साथ– साथ तीन पुत्र मोहनलाल, मेवाराम, निनुआराम काबिज खातेदार बने। उपरोक्त आराजी के बाबत् मेवाराम की मृत्यु के बाद मेवाराम के वारिसान अपीलांट एवं अपीलांट की मां मंगलिया ने खातेदारी का दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आरटीए न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपने 1/4 हिस्सा के बाबत पेश किया। जिसमें रिछपाल के सभी वारिसान को पक्षकार बनाया गया। जिसमें विवादित आराजी को रहन,वय, मुन्तकिल न करने बाबत् अपीलांट की दादी गनेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था लेकिन गनेशी ने अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द होने के बाद भी आराजी खसरा न0 568/0.55 का शेष 23/55 हिस्सा दिनांक 18.10.03 को रेस्पोडेन्ट के हक में करा दिया जो नल एण्ड वाइड है। विवादित आराजी पर स्थगन आदेश होने के बाबजूद भी राजस्व लोक अदालत में तथ्यों को छिपाते हुए रेस्पोडेन्ट ने आराजी का दाखिल खारिज अपने नाम दर्ज करा लिया है, जो अवैध है। उक्त दाखिला खारिज संख्या दिनांक 27.05.2015 नियम विरूद्व है, जो काबिल मंसूखी है।

विवादित आराजी की बाबत् न्यायालय सहायक कलक्टर , भरतपुर के समक्ष रेग्यूलर वाद पेंडिंग एवं उसमें गनेशी के पाबंद होने के बाबजूद दिनांक 18.10.2003 को वयनामा कराया और अब अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के बाबजूद दिनांक 27.05.2015 को दाखिल खारिज दर्ज किया जाना विधि विरूद्व है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दाखिल खारिज संख्या 404 दिनांक 27.05.2015 को निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेण्ट के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये एवं तहत पत्रावली तलब की गई। होने पर शामिल मिसिल की गई है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अंकित कथनों को ही दोहराते हुए बताया कि तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 27.05.2015 विवादित आराजी खसरा नम्बर 568 का हिस्सा 23/55 रेस्पोडेन्ट के नाम स्वीकार किया गया है जो नियम विरूद्ध है । इनका कहना है कि विवादित आराजी पर सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय से स्थगन जारी होने के बाबजूद स्वीकार किया गया है । तहत न्यायालय ने मौके की कोई जांच नहीं की गई है ओर नाहीं पअवारी हल्का की रिपोर्ट तलव की गई है । तहत न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में नमान्तकरण स्वीकार कर खानापूर्ति की गई है जबकि विविादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश नियमों के विपरीत व विधि विरूद्ध रहता है । अतः अपील स्वीकार की जाकर विविध विरूद्ध पारित नामान्तकरण संख्या 404 को निरस्त किया जावे ।

अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी को लेकर न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में नियमित वाद चल रहा है । तहत न्यायालय ने पंजीकृत वयनामा के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं की है । उनका यह भी कहना है कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं था । नामान्तकरण कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग है । फिसकल प्रोसीडिंग में किसी के हक हकूक तय नहीं हिो सकते हैं। विचाराधीन नियमित वाद में ही विधिक तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य आदि लेकर पक्षकारान के हक हकूक तय होते हैं। अपील मियाद बाहर पेश की गई है । अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उभयपक्षकारान के कथनों पर गौर किया । विवादित नामान्तकरण संख्या 404 दिनांक 27.05.2015 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित नामान्तकरण पंजीकृत वयनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट के

हक में स्वीकार किया गया है । नामान्तकरण में यह भी स्पष्ट अंकित है कि विवादित आराजी बावत कोई विवाद व स्थगन नहीं है । अपीलान्ट का यह कहना कि सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा विवादित आराजी पर जारी स्थगन होने के बावजूद तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नियमों के विपरीत है । इस सम्बन्ध मे ं अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नकल प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर उनवानी मंगलिया बनाम गनेशी वगै0 का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के प्रथम पृष्ठ की पुश्त पर विवादित आराजी की बावत अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.04.2004 को पारित की गई है, जिसमें दिनांक 30.04.2004 तक मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिए गए हैं। कथित स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. की आगामी तारीख पेशी की आर्डर शीट की कोई भी नकल प्रतियां अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं कि सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आगे बढ़ाई गई है या समाप्त की दी गई है ।

उभयपक्षकारान के मध्य विवादित आराजी पर सक्षम न्यायालय में दावा विचाराधीन होना दोनों ही पक्ष स्वीकार करते हैं । नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसकल प्रोसीडिंग है जिससे किसी के हक हकूक तय नहीं किये जाते हैं ।तहत न्यायालय द्वारा नामान्तकरण सं0 404 दिनांक 27.05.2015 ग्राम रूंधइकरन तहसील भरतपुर वयनामा के आधार पर स्वीकार किया गया है, जो उचित है । अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.02.28 17:11:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: